न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर, नदबई

पीठासीन अधिकारी– डॉ. विनोद कुमार मीना , आर.ए.एस

वाद संख्या– 81 / 2011
किस्म मुकदमा– दावा 88,89,189 आर.टी.ए.
तारीख निर्णय – 13.03.2020

1. राजबहादुर 42वर्ष पिसरान फते जाति ब्राहम्ण निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई
2. रामकुमार 30 वर्ष पिसरान फते जाति ब्राहम्ण निवासी खेडीदेवीसिंह तह. नदबई

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील नदबई।

प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता श्री राधेश्याम शर्मा

निर्णय दिनांक 13.03.2020

1. यह कि पक्षकारान मुकदमा में ऐसा कोई व्यक्ति नही है। जो दावा लडने योग्य ना हो यानि दानो पक्षकारान मुकदमा लडने मे सक्षम है।
2. यह कि हाल जमाबन्दी के खाता सं.402 के ख. न. 1851 रकबा 0.53, 1852 रकबा 0.57, 1853 रकबा 0.08, 1854 रकबा 0.04, 1857 रकबा 0.47, 1865 रकबा 0.43, 1866 रकबा 0.01, 1867 रकबा 0.57 कुल किता 8 कुल रकबा 2.70 है वाके ग्राम खेडीदेवीसिंह तह. नदबई जिला भरतपुर मे स्थित है। व हाल जमाबन्दी के खाता सं. 562के खसरा नम्बरान 4239 रकबा 1.32, 4233 रकबा 0.39, 4236 रकबा 0.71 कुल किता 3 कुल रकबा 2.42 वाके ग्राम कबई 2 तह. नदबई जिला भरतपुर मे स्थित है। जिस पर वादी अपने हिस्सानुसार खातेदारी काश्तकार काबिज है।
3. यह कि वादी का शुद्व नाम रिकार्डनुसार क्रमशः राजबहादुर व रामकुमार सभी जगह अंकित है। लेकिन हाल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 वाके ग्राम खेडीदेवीसिंह व कबई 2 मे दोनो भाईयो (वादीगण) के नाम क्रमशः लालबहादुर व कुमरसैन दर्ज रिकार्ड है। जो गलत है जबकि वादीगण दोनो भाईयो के रिकार्डेड वास्तविक नाम क्रमशः राजबहादुर व रामकुमार पिसरान फते होना चाहिए था किन्तु पटवार कागजात मे वादीगणो के नाम गलत दर्ज हो रहे है। जो सरकारी कर्मचारी द्वारा सहवन से पूर्व से ही नाम गलत दर्ज होते चले आ रहे है। किन्तु वादीगण अब पटवार कागजात मे दोनो भाईयो (वादीगणो) के वास्तविक रिकार्ड के नाम क्रमशः लालबहादुर के स्थान पर राजबहादुर व कुमरसैन के स्थान पर रामकुमार दर्ज होना चाहिए इस सन्दर्भ मे वाद पत्र के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

परिचय पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड संलग्न है। वादीगण अपने रिकार्ड का वास्तविक नाम क्रमशः राजबहादुर व रामकुमार दुरूस्त कराने का मुस्तहक है।

4. यह कि वादीगण ने अपने भूमि संबंधी कागजात [illegible] हेतु [illegible] जानकारी ली दिनांक 21.04.2017 को फर्द/नकल जमाबंदी प्राप्त किया तो इसकी जानकारी के अनुसार वादीगण को जानकारी हुई कि पटवार कागजात में वादीगणों के नाम क्रमशः राजबहादुर के स्थान पर लालबहादुर व रामकुमार के स्थान पर कुमरसैन दर्ज है। जो रिकार्डेड गलत है। जिस नामों को दुरूस्त कराने हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादी के समक्ष निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने न्यायालय श्रीमान के यहां से आदेश लाने के लिए कहा इसलिए उक्त दुरूस्ती नाम हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश दावा कर रहा है। अतः वादीगणों के नाम पटवार कागजात मे रहे लालबहादुर के इन्द्राजात को कलमजन करा कर राजबहादुर व छोटे भाई कुमरसैन के इन्द्राजात को कलमजन करा कर रामकुमार दुरूस्त कराने के अधिकारी है। तथा इस आशय की घोषणा कराने के अधिकारी है।

अतः वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार डिग्री फरमाया जावे कि विवादित आराजी वाद पत्र की मद स 2 अंकित आराजी पर वादीगण के पटवार कागजात मे रहे क्रमशः लालबहादुर व कुमरसैन के इन्द्राजात को कलमजन कर लालबहादुर के स्थान पर राजबहादुर व कुमरसैन के स्थान पर रामकुमार दुरूस्त किये जाने तथा इस आशय की घोषणा की जावे तथा उसी अनुरूप रिकार्ड मे दर्ज किया जावे। यह कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो उक्त आराजी मे मदाखलत मजाहमत ना करे।

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होकर अपना जबाव दावा पेश किया गया तथा अपने जबाव मे वर्णित किया कि वादीगण स्वीकार कर चुके है। कि राजस्व रिकार्ड मे पहले से ही लाल बहादुर व कुमरसैन दर्ज चले आ रहे है जो कि पजीयन दस्तावेज मे भी दर्ज है। इसलिए दावा वादी काबिल खारिजी के है।

वादीगण के वाद पत्र एवं जबाव दावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई जो निम्न प्रकार है–

1. आया वादी विवादित आराजी पाद पत्र की मद स 2 मे वादीगण के पटवार कागजात मे गलत नाम लालबहादुर एव कुमरसैन के स्थान पर राजबहादुर दरूस्त कराने के मुस्तक है। जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे पहले से ही लालबहादुर व कुमरसैन दर्ज चले आ रहे है। जो काबिल खारिजी के है। जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन मे नकल हाल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वाके ग्राम खेडीदेवीसिंह व कबई, आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशनकार्ड

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

शाको 94 कामसारी

तारीख पेशी 16/5 2017

... मिसल – राजस्थान सरकार

... अधिकारी नदबई (भरतपुर) राज.

...ति, पहचान पत्र छाया प्रति पेश की गई। तथा मौखिक ब्यान के रूपमें ...दुर पुत्र रामकुमार एवं दीनदायल पुत्र मोतीराम के शपथ पत्र पेश किये गये।

प्रतिवादी की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये।

बहस अन्तिम उभयपक्षकारान की सुनी गयी। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में दर्ज ...त तथ्यो को दोहराया गया। हमने उभ्यपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस को सुना ... तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया निर्णय तनकीवार इस ...गर है।

1. आया वादी विवादित आराजी वाद पत्र की मंद स 2 में वादीगण के पटवार कागजात मे गलत नाम लालबहादुर एवं कुमरसैन के स्थान पर राजबहादुर दरूस्त कराने के मुश्तक है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी नकल संवत 2071– 2077 वाके ग्राम खेडीदेवीसिंह व कबई में वादीगण का नाम लालबहादुर व कुवरसैन दर्ज रिकार्ड है। तथा आधार कार्ड, परिचय पत्र ,राशनकार्ड छाया प्रति, पहचान पत्र छाया प्रति पेश की गई। जिसमें वादीगण के नाम राजबहादुर व कुवरसैन है। तथा इनकी ताहीज में भी मौखिक ब्यान के रूपमें राजबहादुर पुत्र रामकुमार एवं दीनदायल पुत्र मोतीराम के शपथ पत्र पेश किये गये। परन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल फोटो रजि0 बयनामा दिनाक 20.02.80 में वादीगण का नाम लालबहादुर व कुमरसैन नाम गलत अंकित है जिसके आधार पर वादीगण का नाम बदस्तूर चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड की गलती नही है। इसलिए वादीगण के नाम दुरूस्त नही किया जा सकता है। उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।
2. आया वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में पहले से ही लालबहादुर व कुमरसैन दर्ज चले आ रहे है। जो काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। तनकी सं. 1 के निर्णय अनुसार भी उक्त तनकी प्रतिवादी के हक में एवं वादीगण के विरूद्ध तय कि जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के आधर पर वादीगण का वाद पत्र काबिल खारिजी के है। अतः वादीगण का वाद पत्र सिद्ध ना होने के कारण वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनाक 03.03.2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना)
सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner